पत्रांक–स0नि0–वा0क0 परिसम्पत्तियॉ/वि0भू0/ 2022–23/ 92

आवश्यक/महत्वपूर्ण

/राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, राज्य कर, उ0प्र0
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 17 मई, 2022

जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(प्रशिक्षण संस्थान, जोन–द्वितीय, लखनऊ, नोएडा,
मुरादाबाद, मेरठ व सहारनपुर को छोड़कर)

विषयः–राज्य कर विभाग की विभागीय परिसम्पत्तियों/भूमि के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या–46 दिनांक 21.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके जोन में स्थित विभागीय सरकारी भवन/भूमि/प्रॉपर्टी का चिन्हांकन कर लें, यदि खाली पड़ी है, तो तत्काल बाउण्ड्रीवाल करा लें। बजट की उपलब्धता कम हो तो वार्ब्ड(कंटीला तार) लगायें। उक्त सरकारी सम्पत्ति(भूमि) पर विभाग का बोर्ड अवश्य लगा दें। आपके जोन में कोई भी भूमि अतिक्रमण नहीं पायी गयी है, का प्रमाण पत्र तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जो अभी तक अप्राप्त है। मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विभागीय भूमि के संबंध में मुख्यालय के पत्र संख्या–05 दिनांक 05.04.2022 से आपके जोन में स्थित विभागीय सरकारी भूमि/प्रॉपर्टी का चिन्हांकन कर ले, यदि खाली पड़ी है तो तत्काल बाउण्ड्री वाल करा लें। बजट की उपलब्धता कम हो तो वार्ब्ड(कंटीला तार) लगायें। उक्त सरकारी सम्पत्ति(भूमि) पर विभाग का बोर्ड अवश्य लगा दें। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो तत्काल जिलाधिकारी को पत्र के द्वारा अवगत करायें जिसकी प्रति मुख्यालय को भी दें। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी स्थापित करे। यह निर्देश पूर्व में जारी किये गये है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय सरकारी भवन/भूमि/प्रॉपर्टी के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना साक्ष्यों सहित उपलब्ध करायें तथा साथ ही आपके अधीनस्थ जोन में कोई भी विभागीय सरकारी भवन/भूमि/प्रॉपर्टी का चिन्हांकन कर लिया गया है, रिक्त भूमि पर विभाग का बोर्ड लगा दिया गया है एवं आपके जोन में कोई भी भूमि अतिक्रमण नहीं पायी गयी है, का प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ भी तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

17/05/2022

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दि0 उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त आयुक्त(स्था0अराज0/प्रभारी नजारत), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त(प्रशासन), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।